रा.स.वि.नि. द्वारा क्रियान्वित योजनाओं/ सहाय्यित गतिविधियों का सार-संग्रह

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

www.ncdc.in

रा.स.वि.नि. की अखिल भारतीय उपस्थिति

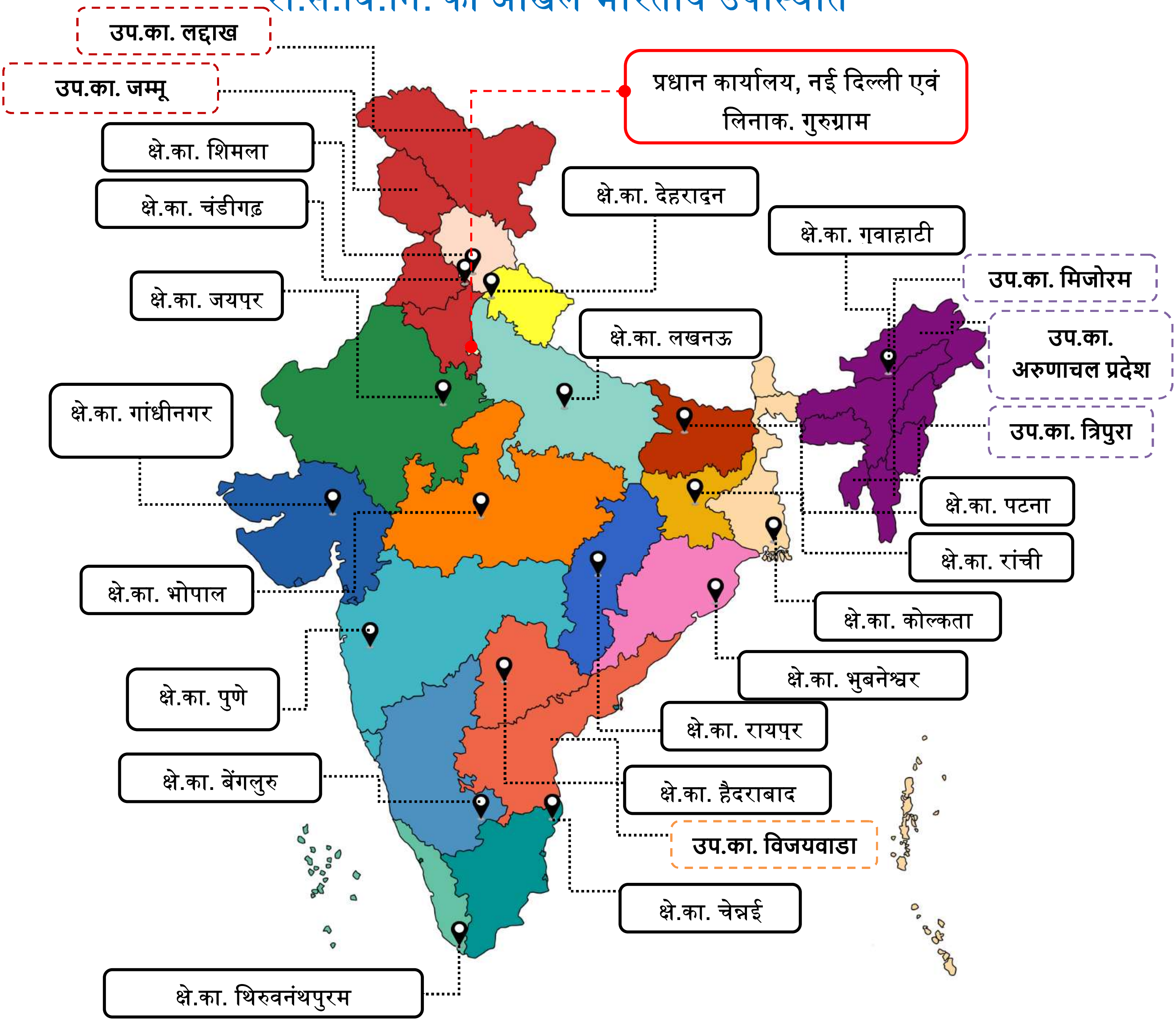

Map not to scale

विषयसूची

क्रम संख्या	विषयवस्तु		पृष्ठ संख्या
1	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम- एक संक्षिप्त परिचय		1
2	भाग क : निगम प्रायोजित योजना		
	(i) सहाय्यित गतिविधियां एवं वित्त पोषण पद्धति		2-6
	(ii) रा.स.वि.नि. के केंद्रित परियोजनाएं		7
	क.	युवा सहकार	8
	ख.	आयुष्मान सहकार	9
	ग.	नंदिनी सहकार	10-11
	घ.	डेयरी सहकार	12
	ङ.	डिजिटल सहकार	13
	च.	स्वयं शक्ति सहकार योजना	14
	छ.	दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना	15
	(iii) रा.स.वि.नि. सहायता के अन्य नियम एवं शर्तें		16-18
3	भाग ख : रा.स.वि.नि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाएं		19
	क.	कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना	20-21
	ख.	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	22
	ग.	कृषिक अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना	23
	घ.	कृषिक विस्तार एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन (एनएमईएटी)	
	ङ.	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	24
	च.	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई)	25
	छ.	10000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन पर केंद्रीय क्षेत्रक योजना	26-27
	ज.	(i) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) - खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन हेतु योजना	28
		(ii) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) - शीत श्रृंखला, मूल्य संवर्धन एवं संरचनात्मक ढांचे के संरक्षण हेतु योजना	
	झ.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	29
	ञ.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) तथा राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)	30
	ट.	पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)	31

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम - एक संक्षिप्त परिचय

1. रा.स.वि.नि. की स्थापना मार्च, 1963 में संसद के एक अधिनियम (रा.स.वि.नि. अधिनियम 1962) तथा वर्ष 1974 एवं 2002 में संशोधित अधिनियम के तहत की गई थी। रा.स.वि.नि. के गतिविधियों के दायरे को वर्ष 2003, 2005 और 2010 में संशोधनों द्वारा और बढ़ाया गया। निगम का मुख्य उद्देश्य उत्पाद एवं उत्पादकता में वृद्धि करने तथा फसलोत्तर सुविधाओं को गठित करने हेतु कृषक सहकारिताओं का संवर्धन, सुदृढ़ीकरण तथा विकास करना है।

2. निगम, कृषि विपणन एवं निवेश, प्रसंस्करण, भंडारण तथा कृषि उत्पादों के विपणन तथा बीजों की आपूर्ति, उर्वरक तथा अन्य कृषि निवेशों आदि कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। निगम गैर कृषि क्षेत्र में कमजोर वर्गों जैसे डेरी, पशुधन, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीटपालन, कुक्कुकटपालन, मत्स्यिकी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, महिला सहकारिताओं आदि तथा कुछ अधिसूचित सेवाओं जैसे जल संरक्षण कार्यों, सिंचाई, पशु स्वास्थ्य देखभाल, बीमारी की रोकथाम, कृषि बीमा और कृषि ऋण, ग्रामीण स्वच्छता, श्रम सहकारिताएं, पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन, ऊर्जा के नए गैर-पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों द्वारा बिजली का उत्पादन एवं संवितरण, ग्रामीण आवास, अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा सहकारिताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए आय सृजित कार्यकलापों के संवर्धन के लिए प्रयासरत है।

3. निगम का सचिवालय प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में संचालित होता है और अपने प्रधान कार्यालय, 18 क्षेत्रीय कार्यालयों - बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, चेन्नई, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिमला और तिरुवनंतपुरम तथ्स 6 उप कार्यालयों - विजयवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, जम्मू और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्य करता है। रा.स.वि.नि. देश में सहकारी क्षेत्र के लिए एक विकासात्मक वित्तपोषण संस्थान है।

4. रा.स.वि.नि. निर्धारित सेवा एवं शर्तों के आधार पर सहकारी समितियों को राज्य सरकार के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रुप से ऋण प्रदान करता है। रा.स.वि.नि. ऋण (आवधिक ऋण तथा निवेश ऋण) तथा सब्सिडी (भारत सरकार से उपलब्धतानुसार) के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

5. पिछले 10 वर्षों के दौरान संचयी संवितरण:

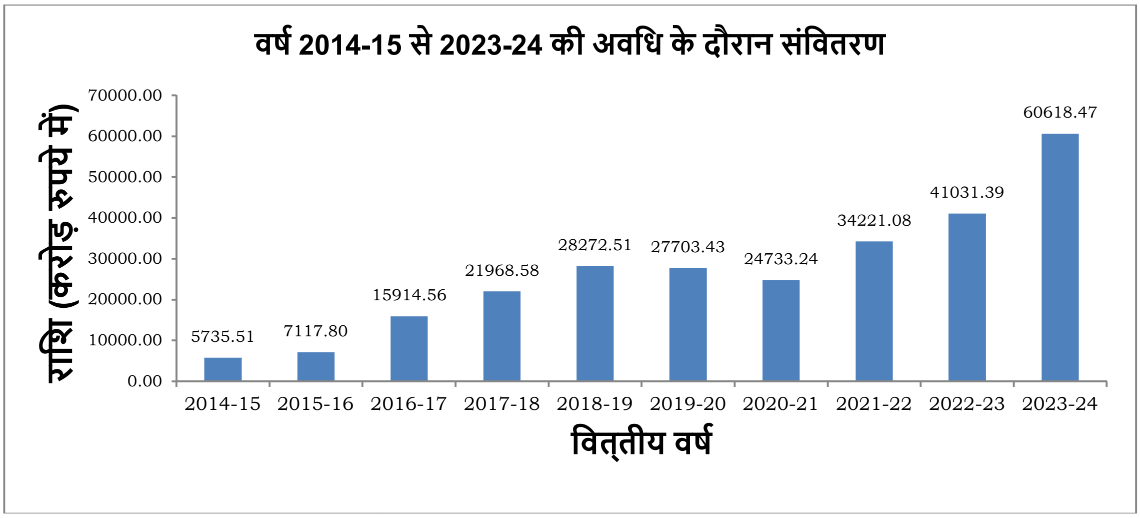

भाग क : निगम प्रायोजित योजना

सहायता प्राप्त गतिविधियां :

रा.स.वि.नि. सहकारी समितियों को उनके विकास के लिए ऋण (आवधिक ऋण और निवेश ऋण दोनों) और सब्सिडी के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऋण घटक रा.स.वि.नि. के स्वयं की निधि से प्रदान किया जाता है, जबकि पात्र सब्सिडी अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के समन्वय के पश्चात प्रदान की जाती है। रा.स.वि.नि. द्वारा सहायता प्रदत्त गतिविधियों की सूची इस प्रकार है :-

क) **विपणन:**

- मार्जिन मनी/ कार्यशील पूंजी सहायता।
- प्राथमिक/जिला विपणन समितियों के अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण।
- फर्नीचर, फिक्सचर, प्रशीतित वैनों समेत परिवहन वाहनों की खरीद।
- कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग तथा मानकीकरण का विकास / सुदृढ़ीकरण ।

ख) **प्रसंस्करण:**

- नये चीनी कारखानों की स्थापना (निवेश ऋण)।
- वर्तमान चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण तथा विस्तारण / विविधीकरण (निवेश ऋण और आवधिक ऋण)
- नई कताई मिलों की स्थापना / वर्तमान कताई मिलों का आधुनिकीकरण / विस्तारण / पुर्नस्थापना।
- वर्तमान कपास जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों का आधुनिकीकरण तथा आधुनिक कपास जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों की स्थापना।
- लघु एवं मध्यम आकार की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की प्रसंस्करण इकाइयाँ प्रि/पोस्ट लूम प्रसंस्करण / गार्मेंट एवं बुनाई इकाइयाँ।
- कपास विकास कार्यक्रम।
- खाद्यान्न / तिलहन / बागानी फसलें / फल एवं सब्जी / मक्का स्टार्च / पार्टिकल बोर्ड आदि जैसी अन्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।
- मार्जिन-मनी / कार्यशील पूंजी सहायता।
- नई कताई मिलों में राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी सहभागिता।

ग) **भंडारण:**

- गोदामों का निर्माण तथा वर्तमान गोदामों की मरम्मत / नवीकरण मार्जिन-मनी / कार्यशील पूंजी सहायता।

घ) **शीत श्रृंखला:**

- शीत भंडारों का निर्माण / विस्तारण / आधुनिकीकरण।
- शीत श्रृंखला अवयवों की स्थापना जिसमें मुख्यतः शामिल हैं : (i) एकीकृत पैक हाउस (ii) परिवहन (iii) शीत भंडारण (फार्म गेट के पास-थोक) (iv) शीत भण्डारण (बाजार के पास हब) और (v) राइपिंग यूनिट इत्यादि।
- मार्जिन मनी / कार्यशील पूंजी सहायता।

ड) **औद्योगिक :**

- सभी प्रकार की औद्योगिक सहकारिताएं, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प / ग्रामीण शिल्प आदि।

च) सहकारिताओं के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण

- संरचनाओं जैसे शार्पिंग केन्द्रों, डीजल / केरोसिन बंक एवं भंडारों तथा थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों, विभागीय उपभोक्ता भंडारों एवं उपभोक्ता संघों का नव निर्माण / विस्तारण / आधुनिकीकरण।
- उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु फर्नीचर फिक्सचर, प्रशीतित वाहनों समेत यातायात वाहनों की खरीद।
- मार्जिन मनी / कार्यशील पूंजी सहायता।

छ) ऋण एवं सेवा सहकारिताएं / अधिसूचित सेवाएं:

- कृषि ऋण / कृषि बीमा।
- जल संरक्षण कार्य / सेवाएं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई।
- पशु देखभाल / स्वास्थ्य, बीमारी की रोकथाम।
- सहकारिताओं के जरिए ग्रामीण स्वच्छता, जल निकासी, मल-जल व्ययन प्रणाली।
- पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन ।
- नये, गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत का उत्पादन एवं वितरण।
- ग्रामीण आवासीकरण।
- अस्पताल / स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा।
- ऋण सहकारी समितियों के लिए संरचना निर्माण।

ज) सहकारी बैंकिंग इकाई:

- आधुनिक बैंकिंग इकाईयों से संबंधित संरचना निर्माण के लिए पैक्स को सहायता।

झ) कृषिक सेवाएं:

- सहकारी कृषक सेवा केन्द्र।
- कस्टम हायरिंग हेतु कृषि सेवा केन्द्र।
- कृषि निविष्टियों के उत्पादन एवं संबद्ध इकाइयों की स्थापना।
- सिंचाई/जल संग्रहण कार्यक्रम।

ञ) जिला योजना स्कीमें:

- चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं।

ट) कमजोर वर्गों की सहकारिताएं:

- मात्स्यिकी, डेयरी एवं पशुधन, कुक्कुटपालन, अनु. जा., जन जातीय सहकारिताएं, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीटपालन, महिला, पर्वतीय क्षेत्र, तंबाकू तथा श्रम सहकारिताएं।

ठ) सहकारिताओं के कंप्यूटरीकरण हेतु सहायता:

हार्डवेयर, सिस्टम और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, अनुरक्षण लागत, जन शक्ति, विकासात्मक

क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आदि समेत कंप्यूटरों की खरीद / संस्थापना / कंप्यूटरीकरण हेतु सहायता दी जाती है।

ड) **संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रम**

वित्त पोषण पद्धति :

क. व्यवसाय विकास एवं अवसंरचना सृजन :

व्यवसाय विकास गतिविधियों हेतु रा.स.वि.नि. द्वारा वित्त पोषित क्षेत्रों / गतिविधियों के लिए सभी प्रकार की राष्ट्रीय, राज्य, जिला, क्षेत्रीय एवं प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों को **कार्यशील पूंजी सहायता** प्रदान की जाती है तथा अवसंरचनात्मक सृजन के लिए आवधिक ऋण और मार्जिन मनी ऋण सहायता प्रदान की जाती है। वित्त पोषण की पद्धति निम्न प्रकार से है :-

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
संरचनात्मक सृजन (परियोजना सुविधाएं):	
ऋण* 90% तक	70% तक ऋण
समिति का हिस्सा - न्यूनतम 10%	समिति का हिस्सा - न्यूनतम 30%
मार्जिन मनी:	
ऋण* बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु 100%	ऋण 100%
कार्यशील पूंजी:	
रा.स.वि.नि. मूल्यांकन के अनुसार, आवश्यकता के अधीन	रा.स.वि.नि. मूल्यांकन के अनुसार, आवश्यकता के अधीन

**राज्य सरकार अपने विवेकानुसार ऋण एवं / या अंश पूंजी तथा / या सब्सिडी के किसी भी संयोजन में इसे समिति को दे सकती है।*

नोट: भारत सरकार की समन्वित योजनाओं के मामले में, योजना के अनुसार सहायता की पद्धति होगी।

ख. अन्य प्रसंस्करण इकाइयाँ:

(i) चीनी मिल

सम्मिलित गतिविधियाँ एवं वित्त पोषण पद्धति इस प्रकार है:

कार्यकलाप	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
नई चीनी इकाई	आ.ऋण - 60%; निवेश ऋण - 30%, स. यो. -10%	आ.ऋण - 60%; हि.पूंजी - 30%, स.यो.-10%	आ.ऋण- 70% स.यो.-30%
आधुनिकीकरण / विस्तार	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
कार्यशील पूंजी	आवश्यकतानुसार ऋण	आवश्यकतानुसार ऋण	आवश्यकतानुसार ऋण
चीनी उपोत्पाद (i) सह-उत्पादन तथा (ii) एथेनॉल इकाई	आ.ऋण -90% स.यो.-10%	आ.ऋण-90% हि.पूंजी/ स.यो. -10%	आ.ऋण-90% स.यो.-10%

(पीसी- परियोजना लागत; टीएल- आवधिक ऋण; नि.ऋ.-निवेश ऋण; हि.पूं. - हिस्सा पूंजी; स.यो.- सदस्य योगदान)

नोट 1: भारत सरकार की समन्वित योजनाओं के मामले में, सहायता की पद्धति योजना के अनुसार होगी।

नोट 2: राज्य सरकारों को निवेश ऋण केवल उन्हीं चीनी सहकारी समितियों के लिए प्रदान किया जाएगा जिन्होंने वित्तीय संस्थानों/बैंकों से आवधिक ऋण की स्वीकृति प्राप्त कर ली है तथा संयंत्र एवं मशीनरी आदि के लिए आदेशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है । नई चीनी सहकारी समितियों के लिए आवधिक ऋण घटक वित्तीय संस्थानों/बैंकों आदि द्वारा प्रदान किया जाएगा ।

(ii) सहकारी कताई और जिनिंग कार्यक्रम

सम्मिलित गतिविधियाँ एवं वित्त पोषण पद्धति इस प्रकार है:

(क) अवसंरचनात्मक ढांचा

प्राथमिक उधारकर्ता के रूप में राज्य सरकार	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
(क) नई इकाइयों की स्थापना / मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण / विस्तार	
90% तक ऋण* समिति का हिस्सा - न्यूनतम 10%	70% तक ऋण समिति का हिस्सा - न्यूनतम 30%
(ख) रुग्ण इकाइयों का पुनर्वास	
90% तक ऋण* समिति का हिस्सा# - न्यूनतम 10%	लागू नहीं (राज्य सरकार की भागीदारी अनिवार्य है)

** राज्य सरकार अपने विवेकानुसार ऋण एवं/या हिस्सा पूंजी तथा /या सब्सिडी के किसी भी संयोजन में इसे समिति को दे सकती है ।*

 # आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार भी इसमें योगदान दे सकती है.

नोट: भारत सरकार की समन्वित योजनाओं के मामले में, वित्तपोषण पद्धति योजना के अनुसार होगी ।

(ख) मार्जिन मनी

प्राथमिक उधारकर्ता के रूप में राज्य सरकार	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
मार्जिन मनी सहायता	
100% तक ऋण*	100% ऋण

** राज्य सरकार अपने विवेकानुसार ऋण तथा /या हिस्सा पूंजी तथा /या सब्सिडी के किसी भी संयोजन में इसे समिति को दे सकती है ।*

(ग) कार्यशील पूंजी

रा.स.वि.नि. मूल्यांकन के अनुसार, आवश्यकता की शर्त पर ।

घ. एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं (आईसीडीपी)

रा.स.वि.नि. के अधिदेश के अंतर्गत सभी गतिविधियां आईसीडीपी के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र हैं। वित्त पोषण पद्धति इस प्रकार है:-

रा.स.वि.नि. से राज्य/संघ राज्य सरकार को	राज्य/संघ राज्य सरकार से समिति को
ऋण - 100% आईसीडीपी के अंतर्गत कवर की गई किसी भी पात्र गतिविधि के लिए केंद्र सरकार के विभाग से सब्सिडी, यदि कोई हो, उपलब्ध है, तो उसे लाभार्थी सहकारी समितियों को दिया जा सकता है और ऋण की समतुल्य राशि रा.स.वि.नि. द्वारा कम की जा सकती है।	ऋण + हिस्सा पूंजी + राज्य सब्सिडी (यदि कोई हो) - 100% आईसीडीपी के तहत कवर की गई किसी भी पात्र गतिविधि के लिए केंद्र या राज्य सरकार के विभाग से सब्सिडी, यदि कोई हो, उपलब्ध है, तो उसे लाभार्थी सहकारी समितियों को दिया जा सकता है और ऋण की समतुल्य राशि रा.स.वि.नि. द्वारा कम की जा सकती है।

नोट: भारत सरकार की समन्वित योजनाओं के मामले में, योजना के अनुसार वित्त पोषण पद्धति होगी।

रा.स.वि.नि. द्वारा राज्य सरकार को संवितरित वित्तीय सहायता अधिकतम 8 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसका भुगतान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा। संरचनात्मक विकास के लिए ऋण के पुनर्भुगतान पर 3 साल की स्थगन अवधि होगी, जबकि अन्य ऋणों जैसे मार्जिन मनी, हिस्सा पूंजी आदि के पुनर्भुगतान के लिए कोई स्थगन अवधि नहीं होगी। इसके अलावा, ब्याज के भुगतान पर भी कोई स्थगन अवधि नहीं होगी।

यदि उपरोक्त योजनाओं के तहत कवर की गई किसी भी पात्र गतिविधि के लिए अन्य मंत्रालयों / विभागों की योजनाओं से सब्सिडी / ब्याज छूट, यदि उपलब्ध हो तो, उसे समायोजित करके लाभार्थी सहकारी समितियों को दिया जाएगा तथा रा.स.वि.नि. द्वारा ऋण की समतुल्य राशि कम कर दी जाएगी।

रा.स.वि.नि. के केंद्रित परियोजनाएं

क) **युवा सहकार** : सहकारी उद्यम सहायता एवं नवाचार योजना: इस योजना का उद्देश्य नए एवं / या नवीन विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है।

ख) **आयुष्मान सहकार** : इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा एवं आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को कवर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है।

ग) **नंदिनी सहकार** : इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक - आर्थिक स्थिति को बेहतर करना तथा महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता गतिशीलता का समर्थन करना है। यह महिलाओं संबंधी उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण एवं सब्सिडी, और / या अन्य योजनाओं की ब्याज छूट के महत्वपूर्ण निवेश को एकत्रित करेगा।

घ) **डेयरी सहकार** : यह ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता का एक सहकारी डेयरी व्यवसाय केंद्रित ढांचा है। इसमें नई परियोजनाओं के लिए सहकारी समितियों द्वारा अवसंरचनात्मक ढांचे का निर्माण तथा मौजूदा परियोजनाओं का आधुनिकीकरण तथा / या विस्तार शामिल है।

ङ) **डिजिटल सहकार** : डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के अनुरूप, रा.स.वि.नि. द्वारा हैंडहोल्डिंग और क्रेडिट लिंकेज के लिए डिजिटल रूप से सशक्त सहकारी समितियों के लिए एक केंद्रित वित्तीय सहायता ढांचे की कल्पना की है, जोकि भारत सरकार / राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र / डिजिटल इंडिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, सहकारी समितियों के उद्देश्य वाली एजेंसियों से अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन आदि से समायोजित है।

च) **स्वयं शक्ति सहकार योजना** : महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण / अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषिक ऋण सहकारी समितियों को रा.स.वि.नि. की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना है।

छ) **दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना** : रा.स.वि.नि. के क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्यकलापों / वस्तुओं / सेवाओं के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा अपने उधारकर्ताओं को दीर्घावधि ऋण / अग्रिम प्रदान के लिए रा.स.वि.नि. की दीर्घावधि वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है।

....

क. युवा सहकार- सहकारी उद्यम सहायता एवं नवाचार योजना

उद्देश्य: इस स्कीम का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियों के साथ स्टार्ट-अप को सक्षम बनाना है ।

पात्रता :

क) नवीन, इनोवेटिव एवं वैल्यू चैन संवर्धन योजना समेत किसी भी प्रकार की सहकारिताएं ।

ख) सहकारी समिति न्यूनतम तीन महीने से परिचालन में होनी चाहिए ।

ग) सहकारी समिति का सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए ।

घ) सहकारी समिति को परिचालन के पिछले वर्षों के दौरान नकद राशि की हानि नहीं होनी चाहिए, जैसा लागू हो, और पिछले तीन वर्षों में कोई नकद राशि की हानि नहीं हुई है (यदि समिति 3 वर्षों से अधिक कार्यरत/परिचालन में है) ।

ऋण की अवधि: 5 वर्ष तक, जिसमें मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष का अधिस्थगन शामिल है।

परियोजना की लागत:

क) एक वर्ष या उससे अधिक समय से संचालित सहकारी समितियों के मामले में परियोजना लागत 3.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

ख) तीन महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम समय से संचालित सहकारी समिति के मामले में परियोजना लागत की 1.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

ग) किसी परियोजना की प्रकृति और गतिविधियों के आधार पर, परियोजना के हिस्से के रूप में कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सकता है, हालांकि, कार्यशील पूंजी कुल परियोजना लागत का 20% से अधिक नहीं होगी ।

ब्याज की दर:

रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय-समय पर ब्याज दरों को संशोधित किया जाता है । प्रोत्साहन के रूप में, रा.स.वि.नि. परियोजना गतिविधियों के लिए आवधिक ऋण पर अपनी लागू ब्याज दर से 2% कम प्रदान करेगा। ब्याज प्रोत्साहन केवल समय पर पुनर्भुगतान की स्थिति में ही मान्य होगा ।

वित्तपोषण पद्धति :

परियोजनाओं को ऋण: इक्विटी अनुपात वाले वित्त पोषण पद्धति के साथ निम्न प्रकार से दिया जाएगा:

श्रेणी – क :

80% : 20% - उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सहकारी समिति, नीती आयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों में पंजीकृत और संचालित सहकारी समितियां व सहकारी समितियां जिसमे 100% महिला / अनुसूचित जाती /अनुसूचित जनजाति/ विकलांग सदस्य हैं |

श्रेणी – ख :

70% : 30% - सभी प्रकार की गतिविधियों हेतु किसी भी प्रकार की सहकारी समिति जो श्रेणी -क के अंतर्गत नहीं आती है ।

विवरण के लिए कृपया देखें https://www.ncdc.in/documents/other/3908071119Yuva.pdf

ख . आयुष्मान सहकार

AYUSHMAN SAHAKAR

योजना के उद्देश्य :

क. सहकारी समितियों द्वारा अस्पतालों / स्वास्थ्य / शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से किफायती एवं समग्र स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में सहायता करना,

ख. सहकारी समितियों द्वारा आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देना,

ग. सहकारी समितियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करना,

घ. सहकारी समितियों को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में भाग लेने में सहायता प्रदान करना,

ङ. सहकारी समितियों को शिक्षा, सेवाओं, बीमा एवं उससे संबंधित गतिविधियों सहित व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सहायता करना ।

पात्रता:

कोई भी सहकारी समिति जो देश में राज्य / बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत अस्पताल / स्वास्थ्य देखभाल / स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं लेने के लिए उपनियमों में उपयुक्त प्रावधान के साथ पंजीकृत हो ।

ऋण अवधि:

ऋण की अवधि 8 वर्ष के लिए होगी, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1-2 वर्ष का अधिस्थगन सम्मिलित है ।

ब्याज दर:

रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय-समय पर ब्याज दरों को संशोधित किया जाता है । प्रोत्साहन के रूप में, रा.स.वि.नि. उधारकर्ता सहकारी समिति जहां महिला सदस्यों की संख्या अधिकतम है और ऋण की पूर्ण अवधि के दौरान पुनर्भुगतान उचित समय पर किया जाता है, ऐसे मामले में परियोजना गतिविधियों के लिए आवधिक ऋण पर लागू ब्याज दर से 1% कम प्रदान किया जायेगा ।

वित्तपोषण पद्धति

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्त पोषण
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार	**राज्य सरकार से समिति**	**रा.स.वि.नि. से समिति**
अवसंरचनात्मक सृजन (परियोजना सुविधाएं)		
ऋण - 90% तक	ऋण - 50%; हिस्सा पूँजी ** - 40%	ऋण*- 70% तक
समिति का हिस्सा – न्यूनतम 10%	समिति का हिस्सा – न्यूनतम 10%	समिति का हिस्सा - न्यूनतम 30%
मार्जिन मनी:		
बैंक क्रेडिट प्राप्त करने हेतु ऋण - 100%	ऋण अथवा शेयर पूंजी अथवा ऋण-सह-शेयर पूंजी 100%	ऋण- 100%
कार्यशील पूँजी		
आवश्यकतानुसार ऋण	ऋण	ऋण

नोट: भारत सरकार की समन्वित योजनाओं के मामले में वित्तपोषण की पद्धति योजना के अनुसार होगी ।

जानकारी हेतु कृपया https://www.ncdc.in/documents/other/Ayushman-sahakar20102020.pdf पर जाएं

ग : नंदिनी सहकार

उद्देश्य : इसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है । यह महिला सहकारिताओं के माध्यम से महिलाओं संबंधी उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण एवं सब्सिडी और / या अन्य योजनाओं के ब्याज सबवेंशन के महत्वपूर्ण इनपुट को एकत्रित कर महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता का समर्थन करता है । यह योजना शहरी आवास को छोड़कर, रा.स.वि.नि. को प्रदत्त किसी भी व्यावसायिक योजना-आधारित गतिविधि / सेवा में सहायता करेगी ।

पात्रता :

देश में किसी भी राज्य / बहु राज्य सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी महिला सहकारी समिति पात्र होगी । प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 50% महिला सदस्यों वाली कोई भी सहकारी समिति भी पात्र है । नवीन एवं / अथवा नवाचारी विचारों से संबंधित परियोजनाओं के मामले में, महिला सहकारी समितियां जो न्यूनतम तीन महीने से संचालन में हैं, वे भी रा.स.वि.नि. की योजना के अंतर्गत सहायता की पात्र हैं । परियोजना लागत की सीमा निम्नानुसार होगी :-

क्र.सं.	आवेदक समिति के संचालन का कार्यकाल	अधिकतम परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
1.	> 3 माह एवं < 1 वर्ष	1.00
2.	> 1 वर्ष एवं <3 वर्ष	3.00
3.	> 3 वर्ष	वास्तविक आवश्यकता के अनुसार (कोई सीमा नहीं)

ऋण की अवधि :

ऋण की अवधि 5-8 वर्षों के लिए होगी, जिसमें परियोजना एवं राजस्व स्रोत के प्रकारों के आधार पर मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1-2 वर्षों का अधिस्थगन भी सम्मिलित है ।

ब्याज-दर : रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय-समय पर ब्याज दरों को संशोधित किया जाता है । समयानुसार पुनर्भुगतान के मामले में,

- नवीन एवं नवाचारी गतिविधियों हेतु आवधिक ऋण पर 2% सबवेंशन ब्याज सहायता प्रदान करेगा ।
- नवीन एवं नवाचारी गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों हेतु आवधिक ऋण पर 1% सबवेंशन ब्याज सहायता प्रदान करेगा ।

वित्तपोषण पद्धति :

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्तपोषण
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार	राज्य सरकार से समिति	रा.स.वि.नि. से समिति
ऋण - 90% तक	ऋण - 50% हिस्सा पूँजी - 40%	ऋण - 70% तक
समिति का हिस्सा – न्यूनतम 10%	समिति का हिस्सा – न्यूनतम 10%	समिति का हिस्सा – न्यूनतम 30%
मार्जिन मनी:		
बैंक क्रेडिट प्राप्त करने हेतु ऋण - 100%	ऋण अथवा शेयर पूंजी अथवा ऋण-सह-शेयर पूंजी 100%	ऋण- 100%
कार्यशील पूँजी		
आवश्यकतानुसार ऋण	ऋण	ऋण

नोट 1:नवीन एवं नवाचारी परियोजना गतिविधियों के मामले में, महिला सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष वित्त पोषण के तहत ऋण : इक्विटी 80:20 के अनुपात में वित्तपोषण की पद्धति के साथ सहायता प्रदान की जायेगी।
नोट 2 : भारत सरकार की समन्वित योजनाओं के मामले में, वित्तपोषण की पद्धति योजना के अनुसार होगी

जानकारी हेतु कृपया https://www.ncdc.in/documents/other/Nandini-Sahakar-Scheme-Eng-01.11.2021.pdf पर जाएं।

घ. डेयरी सहकार

उद्देश्य : नई परियोजनाओं तथा डेयरी क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां जैसे – दुधारु पशुओं के विकास, खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन, दूध एवं दुग्ध उत्पाद के परिवहन, दूध एवं दुग्ध उत्पाद के भंडारण, डेयरी उत्पादों का निर्यात आदि में वर्तमान परियोजनाओं के आधुनिकीकरण तथा विस्तार हेतु सहकारिताओं द्वारा संरचनात्मक सृजन करना है ।

रा.स.वि.नि. द्वारा वित्तीय सहायता में सहायक गतिविधियों एवं सेवाओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, आईसीटी, पशु चारा / चारा अनुपूरक का निर्माण, अनुसंधान एवं विकास, पीईटी बोतल / पैकेजिंग सामग्री निर्माण, डेयरी उपकरण और मशीनरी का निर्माण, डेयरी से संबंधित रखरखाव सेवाएं, विनिर्माण पशु चिकित्सा दवाएं, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण, पशु चिकित्सा / डेयरी शिक्षा, क्षमता विकास आदि को भी सम्मिलित किया गया है ।

पात्रता : कोई भी सहकारी समिति जो देश में राज्य / बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत उपनियमों में उपयुक्त प्रावधान के साथ पंजीकृत हो ।

ऋण की अवधि :

ऋण की अवधि 5-8 वर्षों के लिए होगी, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1-3 वर्षों का अधिस्थगन भी सम्मिलित है।

ब्याज-दर : रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय-समय पर ब्याज दरों को संशोधित किया जाता है ।

वित्तपोषण पद्धति :

क) संरचनात्मक सृजन

राज्य/ सं.रा.क्षे. सरकार के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्तपोषण
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार/ सं.रा.क्षे. को	राज्य/ सं.रा.क्षे. सरकार से समिति को	रा.स.वि.नि. से समिति को
वित्तीय सहायता/ ऋण- 90% तक	ऋण तथा/ या हिस्सा पूंजी तथा/ या अनुदान #	वित्तीय सहायता/ ऋण- 70% तक
समिति का हिस्सा – न्यूनतम 10%	समिति का हिस्सा – न्यूनतम 10%	समिति का हिस्सा – न्यूनतम 30%

राज्य सरकार के विवेकानुसार

नोट: भारत सरकार की समन्वित योजनाओं के मामले में, वित्तपोषण की पद्धति योजना के अनुसार होगी ।

ख) व्यवसाय विकास हेतु मार्जिन मनी

राज्य/ सं.रा.क्षे. सरकार के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्तपोषण
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार/ सं.रा.क्षे. को	राज्य/ सं.रा.क्षे. सरकार से समिति को	रा.स.वि.नि. से समिति को
बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु ऋण - 100%	ऋण अथवा/ या हिस्सा पूंजी 100% तक	ऋण- 100% तक

नोट : रा.स.वि.नि. मूल्यांकन की शर्त पर मार्जिन मनी सहायता हेतु पात्रता ।

ग) कार्यशील पूँजी :

रा.स.वि.नि. मूल्यांकन के शर्त पर आवश्यकतानुसार

विवरण हेतु कृपया https://www.ncdc.in/documents/downloads/5615200923 Dairy-Sahakar-English. pdf पर देखें ।

ङ. डिजिटल सहकार

उद्देश्य: डिजिटल इंडिया में सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी के उद्देश्य से रा.स.वि.नि. के द्वारा सहायता एवं क्रेडिट लिंकेज हेतु एक केंद्रित वित्तीय सहायता ढांचा प्रदान करना।

पात्रता: किसी भी राज्य/बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु पात्र है। एफपीओ, एफएफपीओ तथा संघीय स्वयं सहायता समूह सहकारी समितियां भी पात्र हैं । रा.स.वि.नि. द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से सहकारी समितियों को या राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है । परियोजना लागत की सीमा निम्नानुसार होगी :-

क्र.सं.	आवेदक समिति के संचालन का कार्यकाल	अधिकतम परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
1.	> 3 माह एवं < 1 वर्ष	1.00
2.	> 1 वर्ष एवं <3 वर्ष	3.00
3.	> 3 वर्ष	वास्तविक आवश्यकता के अनुसार (कोई सीमा नहीं)

ऋण की अवधि: ऋण की अवधि 5-8 वर्षों के लिए होगी, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1-2 वर्षों का अधिस्थगन भी सम्मिलित है ।

ब्याज-दर : रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित ब्याज दर लागू होगी ।

वित्तपोषण पद्धति: समिति की आवश्यकता एवं रा.स.वि.नि. के मूल्यांकन के अनुसार होगी ।

च. स्वयं शक्ति सहकार योजना

उद्देश्य: महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कार्यशील पूंजी ऋण या आवधिक ऋण देने हेतु कृषि ऋण सहकारी समितियों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

क. किफायती लागत पर प्रभावी विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं को गरीबों तक तक पहुंचाना।

ख. महिला एसएचजी की सामान्य / सामूहिक आर्थिक- सामाजिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त बैंक ऋण तक पहुँच बनाना।

ग. स्थायी आजीविका का संवर्धन करना।

पात्रता : क. प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स)
ख. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबीएस)
ग. राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)
घ. एसएचजी संघीय सहकारी समितियां / सहकारी संघ

ऋण की अवधि : मूलधन के पुनर्भुगतान में अधिकतम 6 महीने के अधिस्थगन के साथ 3 वर्ष तक की अवधि होगी। ऋण सहकारी समितियां वार्षिक सत्यापन के साथ परिक्रामी आधार पर 5 वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण भी प्राप्त कर सकती हैं। ऋण का पुनर्भुगतान अर्धवार्षिक किश्तों में किया जाएगा।

ब्याज दर : रा.स.वि.नि.परिपत्र के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित ब्याज दर लागू होगी।

वित्तपोषण पद्धति: महिला स्वयं सहायता समूहों को लघु / मध्यम अवधि के ऋण देने हेतु ऋण सहकारी समितियों की आवश्यकता तथा रा.स.वि.नि. द्वारा मूल्यांकन के अनुसार (ऋण सहकारी समितियों के ऋण व्यवसाय टर्नओवर के अनुसार) ऋण प्रदान करना।

विवरण हेतु कृपया https://ncdc.in/documents/upload/3210140923Scheme-3.pdf पर देखें।

छ. दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना

उद्देश्य : रा.स.वि.नि. के दायरे के अंतर्गत गतिविधियों / वस्तुओं/सेवाओं हेतु दीर्घावधि ऋण / अग्रिम के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को निम्नलिखित हेतु रा.स.वि.नि. की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु :-

क. सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों के लिए वृद्धिमान एवं निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।

ख. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना।

ग. गैर-कृषि क्षेत्रक गतिविधियों की समर्थन करना जिससे ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का संवर्धन हो।

पात्रता : इस योजना के अंतर्गत रा.स.वि.नि. के ऋण हेतु निम्न प्रकार की कृषि ऋण सहकारी समितियाँ पात्र होंगी:

क. प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स)

ख. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)

ग. राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)

घ. प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीएस)

च. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीएस)

ऋण की अवधि : ऋण के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान में बिना किसी अधिस्थगन के 5 वर्ष तक की अवधि लागू होगी।

ब्याज दर : रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित ब्याज दर लागू होगी।

वित्तपोषण पद्धति : सहकारी समिति की आवश्यकता के अनुसार वित्त के अन्य स्रोतों जैसे नाबार्ड, राज्य सरकार, स्वयं की निधि, जमाओं, अन्य वित्तपोषण संस्थान आदि को ध्यान में रखते हुए ऋण, कुल आवश्यकता का 80% से अधिक नहीं होना चाहिए।

विवरण के लिए, कृपया https://ncdc.in/documents/upload/3210140923Scheme-4.pdf पर देखें।

रा.स.वि.नि. सहायता के अन्य नियम एवं शर्तें

1. सामान्य मानदंड

i) प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के मामले में ऋण-इक्विटी अनुपात को परियोजनाओं की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जा सकता है। सदस्यों के योगदान को कम किया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार सदस्यों के हिस्से का भुगतान करे।

ii) भारत सरकार / अन्य संस्थानों की विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में, उनकी सहायता पद्धति लागू होगी।

iii) रा.स.वि.नि. की योजनाओं को भारत सरकार / सरकारी विभाग/किसी अन्य स्रोतों की योजनाओं के साथ समन्वित किया जा सकता है। सहायता पद्धति केवल एक केंद्रीय सब्सिडी उपलब्ध होने की शर्त के साथ तदनुसार समायोजित की जाएगी। हालाँकि, यदि वांछनीय समझा जाए तो राज्य सरकारें अपने स्रोतों से सब्सिडी का योगदान कर सकती हैं।

iv) एक से अधिक राज्यों में परिचालन वाली सहकारी समितियों की संपत्ति आदि गिरवी रखकर उपयुक्त प्रतिभूति के अधीन प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की जा सकती है।

v) प्रत्यक्ष वित्तपोषण रा.स.वि.नि. द्वारा यथासमय निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

vi) सहायता पद्धति प्रदान की जा सकने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा को इंगित करती है।

vii) कार्यक्रम / परियोजना को सांविधिक / अनिवार्य आवश्यकताओं जैसे प्रदूषण, पर्यावरण, स्वच्छता आदि को पूरा करना चाहिए।

viii) सहकारी समितियों में आमतौर पर एक लोकतांत्रिक रुप से निर्वाचित बोर्ड होगा, जो व्यावसायिक रूप से प्रबंधित होगा तथा फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज के लिए उचित व्यवस्था होगी।

2. प्रत्यक्ष वित्तपोषण हेतु मानदंड

रा.स.वि.नि. निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए मौजूदा सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर सकता है:

i) सहायता की इच्छुक समिति का शुद्ध मूल्य सकारात्मक होना चाहिए तथा उसकी हिस्सा पूंजी में अपक्षरण नहीं होनी चाहिए;

ii) सभी दीर्घावधिक ऋणों पर विचार करते हुए ऋण इक्विटी अनुपात सामान्यतः विनिर्माण / प्रसंस्करण गतिविधियों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 65:35 से 70:30 के बीच होना चाहिए;

iii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर खाते का लेखापरीक्षण पिछले वर्ष तक पूर्ण हो जाना चाहिए। ऐसे मामले में जहां लेखापरीक्षण सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है और पूरा नहीं होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किए गए खाते प्रस्तुत किए जाएंगे। नवगठित समिति के मामले में 6 महीने की अवधि की गणना उस नियत तिथि से की जाएगी जिस अधिनियम के अंतर्गत समिति पंजीकृत है;

iv) रा.स.वि.नि. सहायता की इच्छुक सहकारी समिति, या कोई अन्य सहकारी समिति के निदेशक, जिसमें उक्त सहकारी समिति के निदेशक रहे हैं, को रा.स.वि.नि. / बैंकों / वित्तीय संस्थानों को ऋण के पुनर्भुगतान में कोई बड़ी चूक नहीं होनी चाहिए;

पात्रता मानदंडों को पूरा करने मात्र से सहकारी समिति रा.स.वि.नि. से सीधे वित्त पोषण के लिए पात्र नहीं हो जाती है । रा.स.वि.नि. नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न मापदंडों के संबंध में परियोजनाओं की व्यवहार्यता की जांच करेगी :

i. परियोजना की तकनीकी व्यावहारिकता तथा वित्तीय व्यवहार्यता;
ii. सहकारी समिति की वित्तीय सुदृढता;
iii. सहकारी समिति का पिछला वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन (जहां भी लागू हो);
iv. सहकारी समिति के प्रबंधन / कर्मचारियों की व्यावसायिक विशेषज्ञता;
v. समान परियोजनाओं को संभालने में सहकारी समिति के प्रबंधन का अनुभव;
vi. सहकारी समिति का आंशिक ऋण पुनर्भुगतान का प्रदर्शन (जहां भी लागू हो);
vii. परियोजना लागत में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए सहकारी समिति की क्षमता;
viii. रा.स.वि.नि. से मांगे गए ऋणों के लिए पर्याप्त प्रतिभूति की उपलब्धता

केवल ऐसी परियोजनाएं, जो रा.स.वि.नि. की राय में इन मापदंडों के आधार पर व्यवहार्य हैं, रा.स.वि.नि. से प्रत्यक्ष वित्त पोषण सहायता हेतु पात्र होंगी । इसके अतिरिक्त, जिन सहकारी समितियों के पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनके मामलों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा तथा सहकारी समिति के संवर्धकों की पृष्ठभूमि एवं क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा ।

अन्य नियम, शर्तें तथा मानदंड रा.स.वि.नि. की वेबसाइट www.ncdc.in पर उपलब्ध हैं ।

3. प्रतिभूति

रा.स.वि.नि. सहायता या तो राज्य सरकार के माध्यम से या प्रत्यक्ष वित्त पोषण के अंतर्गत प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, सहकारी समिति रा.स.वि.नि. की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या संयोजन में ऋण के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत कर सकती है :

i) ऋणों से संबंधित प्रतिभूति के रूप में रा.स.वि.नि. को गिरवी रखी जाने वाली परिसंपत्तियों के मूल्य में पर्याप्त प्रतिभूति मार्जिन होना चाहिए, सामान्यतः 1.25 से 1.5 गुना से कम नहीं होना चाहिए । (प्रतिभूति में कमी को अनुसूचित बैंक की गारंटी या रा.स.वि.नि. के पक्ष में समर्थित अनुसूचित बैंक की एफडीआर के माध्यम से पूरा किया जा सकता है) । एफडीआर की प्रतिभूति के मामले में मार्जिन 1.1 गुना से कम नहीं होना चाहिए ;

ii) सहकारी समितियों / संघों को कार्यशील पूंजी ऋण न्यूनतम 20% मार्जिन रखते हुए, स्टॉक / देनदार / अन्य परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है । यदि आवश्यक समझा जाए, तो रा.स.वि.नि. अचल परिसंपत्तियों पर पहले या दूसरे शुल्क की अतिरिक्त प्रतिभूति मांग सकता है । सरकारी खरीद या मूल्य समर्थन कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के मामले में किसी न्यूनतम मार्जिन पर बल दिया जाना अनिवार्य नही है |

iii) राज्य / केंद्र सरकार द्वारा गारंटी;

iv) केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों / सांविधिक निकायों / केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के सीएसआर संघों द्वारा गारंटी;

v) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) / उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) / भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) / संगठन /प्रतिष्ठित संघों की गारंटी ।

vi) अनुसूचित / राष्ट्रीयकृत बैंकों से गारंटी;

vii) स्थायी जमा रसीदों (एफडीआर) तथा / या अनुसूचित बैंकों की गारंटी के रूप में निदेशक मंडल / सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी ।

viii) रा.स.वि.नि. ऋण के 1.1 गुना की सीमा तक सरकारी बांड / प्रतिभूतियों के बंधक तथा नियतन ।

4. **निधियों का संवितरण**

i) रा.स.वि.नि. 25% अर्थोपाय (वेज एंड मीन्स) अग्रिम के संवितरण पर तभी विचार करेगा जब समिति सदस्यों / राज्य सरकार हिस्सा पूंजी एवं आंतरिक संचय के माध्यम से परियोजना के इक्विटी हिस्से का 50% एकत्रित कर लेगी तथा 40% उपयोग कर लेगी ।

ii) वर्तमान कार्यप्रणाली के अनुसार, सामान्यत: बाद की विमुक्ति पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एक महीने के लिए व्यय तथा किए गए प्रतिबद्ध खर्चों के आधार पर विचार किया जाएगा । रा.स.वि.नि. सहायता वाली 10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए ऐसा प्रमाणीकरण रा.स.वि.नि.द्वारा अनुमोदित पैनल के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जा सकता है ।

iii) **प्रसंस्करण शुल्क:** प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, रा.स.वि.नि. स्वीकृति हेतु प्रसंस्करण शुल्क स्वीकृत राशि का 0.5% लिया जाएगा, जो कि जीएसटी को छोड़कर, प्रत्येक मामले में 3.00 लाख रुपये (6.00 करोड़ रुपये का 0.5%) से अधिक नहीं होगा । हालाँकि, एक वर्ष तक के कार्यशील पूंजी ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा । यदि उधारकर्ता राज्य सरकार है तो भी प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा ।

भाग ख: रा.स.वि.नि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य मंत्रालयों / विभागों की योजनाएं

क) **कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)** भंडारण तथा भंडारण अवसंरचना के अतिरिक्त अन्य हेतु केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि विपणन योजना (सीएसआईएसएएम) की उप-योजना - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ख) **एकीकृत बागवानी विकास मिशन** (एमआईडीएच) - **एकीकृत फसलोत्तर प्रबंधन** - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ।

ग) **कृषि अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से ब्याज रियायत तथा ऋण गारंटी** - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ।

घ) **राष्ट्रीय कृषिक विस्तारण तथा प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी)** के बीज एवं पादप सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) के अंतर्गत बीज उत्पादन घटक को बढ़ावा देने हेतु सहायता ।

ङ) **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)** - मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ।

च) **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)** - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।

छ) **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन हेतु योजना** - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ।

ज) **(i) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) - खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन योजना** - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।

(ii) **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना** - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।

झ) **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)** - जनजातीय कार्य मंत्रालय ।

ञ) **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) तथा राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)** - पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ।

ट) **पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)**, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

क) कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि विपणन योजना (सीएसआईएसएएम) की उप-योजना - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

योजना के बारे में :

निम्नलिखित वित्तीय सहायता हेतु योजना :-

- भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं के साथ-साथ नवीकरण करना।
- भंडारण के अतिरिक्त अन्य अवसंरचना परियोजनाएं (प्राथमिक प्रसंस्करण अर्थात छंटाई, ग्रेडिंग, प्रशीतन, फ्रीजिंग, आदि)।
- 1000 मीट्रिक टन तक की स्टैंड अलोन शीत भण्डारण इकाइयों की अनुमति है।

सब्सिडी के उद्देश्य से परियोजना की पूंजीगत लागत की गणना, वित्तीय संस्थान द्वारा मूल्यांकन किये जाने के पश्चात परियोजना लागत या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पात्र घटकों की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, पर की जाएगी।

वित्तपोषण पद्धति:

भण्डारण अवसंरचना हेतु

श्रेणी		सब्सिडी दर (पूँजी लागत पर)	सब्सिडी सीमा		
			50 – 1000 मी.टन (रुपये/ मी.टन में)	1000 मी.टन से अधिक तथा 10,000 मी.टन तक (रुपये/ मी.टन में)	अधिकतम सीमा (लाख रुपये में)
क)	पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीपसमूह, संघ राज्य क्षेत्र, तथा पर्वतीय* क्षेत्र	33.33%	1333.20	1333.20	133.20
ख)	अन्य क्षेत्रों में				
(i)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति** सहकारिताओं हेतु	33.33%	1166.55	1000.00	100.00
(ii)	लाभार्थियों की अन्य सभी श्रेणियों हेतु	25%	875.00	750.00	75.00

भण्डारण अवसंरचना के अतिरिक्त

श्रेणी	सब्सिडी दर (पूंजी लागत पर)	अधिकतम सब्सिडी सीमा (लाख रुपये में)
क) पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा अंडमान एवं निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीपसमूह, संघ राज्य क्षेत्र, पर्वतीय* तथा जनजातीय क्षेत्र	33.33%	30.00
ख) अन्य क्षेत्रों में : 1. पंजीकृत एफपीओ, महिला, अनु.जा./अनु.ज.जा. के लाभार्थी तथा उनकी सहकारिताएं**	33.33%	30.00
• **लाभार्थियों की अन्य सभी श्रेणियों हेतु**	25%	25.00

*पर्वतीय क्षेत्र वह स्थान है जो समुद्र तल से 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है।

** अनु.जा./अनु.ज.जा. की सहकारिताएं राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित की जाएंगी।

अन्य मानदंड :-

i. ब्लॉक लागत का न्यूनतम 20% लाभार्थी समिति / राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

ii. साइलो हेतु सब्सिडी की गणना के लिए लागत मानदंड अन्य भंडारण अवसंरचना के समान होंगे।

iii. नवीनीकरण के लिए सहायता की अनुमति दी जाएगी तथा यह रा.स.वि.नि. के माध्यम से संचालित सहकारी समितियों के भंडारण अवसंरचना की परियोजना तक ही सीमित होगी, जो कि बैंक / रा.स.वि.नि. द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजना लागत या वास्तविक लागत या रुपये 750/- प्रति मीट्रिक टन भंडारण क्षमता, जो भी कम हो।

iv. दाल विखंडन एवं तेल क्रशिंग की परियोजनाओं हेतु 25% श्रेणी के लिए अधिकतम सब्सिडी 12.50 लाख रुपये तथा 33.33% श्रेणी के लिए अधिकतम सब्सिडी 16.66 लाख रुपये ही है।

विवरण हेतु https://www.dmi.gov.in पर देखें।

ख. बागवानी एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) /राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) - एकीकृत फसलोत्तर प्रबंधन - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

योजना के बारे में :

इस योजना के अंतर्गत, एकीकृत पैक हाउस, प्री-कूलिंग यूनिट, कोल्ड रूम, मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट, राइपनिंग चैंबर एवं रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट वाहन की स्थापना हेतु परियोजनाओं के सफल समापन के बाद सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% की दर पर तथा पर्वतीय पूर्वोत्तर एवं अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50% की दर से बैंक-एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है।

वित्त - पोषण पद्धति :

सामान्य क्षेत्र			पूर्वोत्तर, पर्वतीय एवं अनुसूचित क्षेत्र		
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	प्रत्यक्ष निधि पोषण	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	प्रत्यक्ष निधि पोषण
ऋण 55% उत्तरवर्ती सब्सिडी* 35%	ऋण 45% अ.जा. 10% उत्तरवर्ती सब्सिडी* 35%	ऋण 55% उत्तरवर्ती सब्सिडी* 35%	ऋण 40% उत्तरवर्ती सब्सिडी* 50%	ऋण 30% अ.जा. 10% उत्तरवर्ती सब्सिडी* 50%	ऋण 40% उत्तरवर्ती सब्सिडी* 50%
सदस्य योगदान	10%	10%	10%	10%	10%

**विशेष शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) अवयवों के लिए उत्तरवर्ती सब्सिडी भारत सरकार/ एनएचएम/ एनएचबी से प्राप्त होने पर दी जाएगी अन्यथा रा.स.वि.नि. से समकक्ष ऋण दिया जाएगा।*

हालांकि कुछ लघु अवयवों जैसे 9 एम*6 एम के आकार वाले समेत लघु पैकहाउस, वाष्पीकरण/कम ऊर्जा वाला ठंडा कक्ष (8एमटी), संरक्षण इकाई (कम लागत), कम लागत वाले प्याज भंडारण संरचना (25 एमटी) और पूसा, शुन्य ऊर्जा ठंडा कक्ष (100कि.ग्रा.) के लिए उच्च सब्सिडी उपलब्ध है और इस स्थिति में कुल लागत का 50% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.midh.gov.in, www.nhb.gov.in. पर देखें।

ग. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के तहत, वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से ब्याज में रियायत एवं ऋण गारंटी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

योजना के बारे में :

देश में कृषि अवसंरचना को बेहतर बनाने हेतु लाभार्थी सहकारी समितियों को फसलोत्तर , अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम/दीर्घावधिक ऋण वित्तपोषण सुविधा का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएँ:

- 7 वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा तक के ऋण पर प्रति वर्ष 3% की **ब्याज में छूट**
- 2 करोड़ रुपये से अधिक ऋण के मामले में, ब्याज में छूट केवल 2 करोड़ रुपये तक ही सीमित होगी।
- 2 करोड़ तक के ऋण हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के तहत **क्रेडिट गारंटी** कवरेज।

अधिक जानकारी हेतु कृपया https://agriinfra.dac.gov.in/ पर देखें

घ. राष्ट्रीय कृषि विस्तारण एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) के बीज एवं पादप सामग्री (एसएमएसपी) के उपमिशन के तहत बीज उत्पादन अवयव की वृद्धि हेतु सहायता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

योजना के बारे में :

इस योजना के अंतर्गत, उक्त सहायता बीज की सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, बीज शोधन, पैकेजिंग एवं भंडारण इकाइयों के साथ-साथ शोध एवं विकास सहित बीज परीक्षण सुविधाओं से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण तक सीमित होगी । राष्ट्रीय बीज निगम इस अवयव के कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु नोडल एजेंसी होगी।

वित्त-पोषण पद्धति :

बैक-एंडेड सब्सिडी अर्थात परियोजना के सफल समापन के बाद सब्सिडी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 40% तथा पर्वतीय एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% उपलब्ध होगी, जो प्रति परियोजना 150 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के अधीन होगी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://diragrijmu.nic.in/cssguidelines/smsp.pdf पर देखें।

ङ. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) – मत्स्य विभाग, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय:

योजना के बारे में : यह योजना मछली उत्पादन एवं उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद की अवसंरचना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, अभिवीक्षणीयता, एक सुदृढ़ मत्स्य पालन की रुपरेखा प्रबंधन की स्थापना तथा मछुआरों के कल्याण में आने वाले गंभीर अभावों को दूर करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

पीएमएमएसवाई दो अलग-अलग अवयवों के साथ एक अम्ब्रेला योजना है (क) केंद्रीय क्षेत्रक योजना (सीएस) एवं (ख) केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)। सीएसएस अवयव को निम्नलिखित तीन व्यापक शीर्षों के तहत गैर-लाभार्थी उन्मुख एवं लाभार्थी उन्मुख उप-अवयवों/गतिविधियों में विभाजित किया गया है:

(i) उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि

(ii) अवसंरचनात्मक एवं फसल कटाई के बाद प्रबंधन

(iii) मात्स्यिकी प्रबंधन एवं नियामक ढांचा

वित्त-पोषण पद्धति :

केंद्र क्षेत्रक योजना (सीएस) अवयव	• संपूर्ण परियोजना/इकाई लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी (अर्थात 100% केंद्रीय वित्त पोषण) • एनएफडीबी सहित सरकार और उसकी संस्थाओं द्वारा किए गए लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों के मामले में, केंद्रीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए इकाई/परियोजना लागत के 40% तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु 60% तक सीमित होगी।
केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अवयव	**<u>गैर लाभार्थी-उन्मुख गतिविधियां:</u>** • संपूर्ण परियोजना/इकाई लागत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार केंद्र एवं राज्य के बीच साझा की जाएगी: • केंद्र एवं सामान्य राज्यों के बीच 60:40 • उत्तर पूर्व एवं हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 • संघ राज्य क्षेत्रों एवं केंद्र सरकार की संस्थाओं हेतु 100% <u>लाभार्थी-उन्मुख अर्थात व्यक्तिगत/सामूहिक गतिविधियां:</u> • केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों की सरकारी वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग हेतु परियोजना/इकाई लागत के 40% तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु परियोजना/इकाई लागत के 60% तक सीमित होगी। • इस सरकारी सहायता को केंद्र एवं राज्य के बीच निम्नलिखित अनुपात में साझा किया जाएगा: पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य: 90% केंद्रीय हिस्सा और 10% राज्य हिस्सा संघ राज्य क्षेत्र : 100% केंद्रीय हिस्सा अन्य राज्य: 60% केंद्रीय हिस्सा एवं 40% राज्य हिस्सेदारी

मत्स्य-पालन किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन एवं संवर्धन:

पीएमएमएसवाई योजना के तहत, मत्स्य-पालन विभाग, मत्स्य-पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 1070 एफएफपीओ के गठन एवं संवर्धन हेतु रा.स.वि.नि. को स्वीकृति प्रदान की है (सहकारी समिति अधिनियम के तहत 70 का गठन एवं पंजीकरण किया जाएगा तथा 1000 मौजूदा प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों (पीएफसीएस) को एफएफपीओ के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा) | अधिक जानकारी के लिए कृपया https://pmmsy.dof.gov.in/ पर देखें

च. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय:

योजना के बारे में :

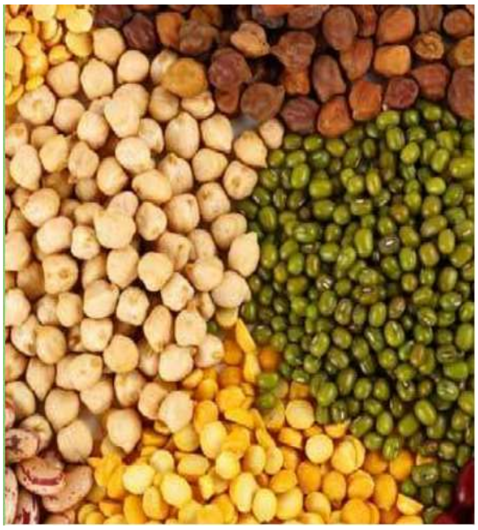

- वर्त्तमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों द्वारा ऋण तक पहुंच में वृद्धि;
- ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग को सुदृढ़ करके व्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला सहित एकीकरण;
- वर्त्तमान 2,00,000 उद्यमों को औपचारिक रुपरेखा के रूपांतरण हेतु समर्थन;
- सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं, भंडारण, पैकेजिंग, विपणन एवं ऊष्मायन सेवाओं जैसी सामान्य सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि;
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थानों, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण; तथा
- उद्यमों के लिए पेशेवर एवं तकनीकी सहायता तक पहुंच में वृद्धि।

वित्त-पोषण पद्धति:

यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सम्मिलित सहकारी समितियों को पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण से जुड़े अनुदान के माध्यम से उनकी मौजूदा प्रसंस्करण गतिविधियों के उन्नयन हेतु पूंजी निवेश के लिए ओडीओपी एवं गैर ओडीओपी उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु नई इकाइयों को समर्थन प्रदान करता है।

कार्यान्वयन प्रक्रिया:

यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की जाएगी एवं यह उत्पादक सहकारी समितियों को कृषि मूल्य श्रृंखला में अग्रवर्ती एवं पश्चवर्ती के संबंध (फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज) विकसित करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.mofpi.nic.in. पर देखें।

छ. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन तथा संवर्धन हेतु योजना – कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

योजना के बारे में :
इस योजना का लक्ष्य किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के रूप में लघु और सीमांत किसानों के सामूहिकीकरण के माध्यम से समग्र और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा कृषि क्षेत्र के समावेशी और टिकाऊ परिवर्तन को प्राप्त करना है।

एफपीओ के संवर्धन में रा.स.वि.नि. की भूमिका:
योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, रा.स.वि.नि., अपने अधिदेश के अनुसार, एफ.पी.ओ. की आवंटित संख्या का गठन तथा संवर्धन कर रही है, जिसे राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है। पहले के राज्य सहकारी अधिनियमों के अलावा, इनमें पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त या आत्मनिर्भर सहकारी समिति अधिनियम या किसी भी नाम से जाना जाता है, या बहुउद्देशीय सहकारी समिति अधिनियम (एमएससीएस अधिनियम) सम्मिलित हैं । रा.स.वि.नि. स्कीम के अंतर्गत पैनलबद्ध क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से एफपीओ को बढ़ावा देता है, जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करता है और योजना के अंतर्गत रा.स.वि.नि. को आवंटित एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के लिए उत्तरदायी होता है।

क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सी.बी.बी.ओ.)

(i) एफपीओ बनाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य/क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) की पहचान करती है;

(ii) किसी दिए गए राज्य में, भूगोल उत्पाद समूहों, फसल पद्धति आदि के आधार पर एक या एक से अधिक सीबीबीओ हो सकते हैं तथा एक सीबीबीओ एक से अधिक राज्यों में भी काम कर सकता है।

(iii) सीबीबीओ के पास कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में एफपीओ की व्यावसायिक विशेषज्ञता एवं अपेक्षित अनुभव की जानकारी होती है तथा (क) फसल पालन; (ख) कृषि विपणन / मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण; (ग) सामाजिक संघटन; (घ) विधि एवं लेखा; और (च) कृषि एवं कृषि विपणन में आईटी/एमआईएस क्षेत्रों में विशेषज्ञों का एक पैनल होता है।

विभिन्न हितधारकों हेतु उपलब्ध लाभ

क) क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) का संवर्धन

सीबीबीओ के गठन एवं ऊष्मायन लागत, अधिकतम 25 लाख रुपये/ एफपीओ समर्थन या वास्तविक जो भी कम हो, तक सीमित है, गठन के वर्ष से पांच वर्षों के लिए प्रदान की जाती है। इसमें आधारभूत सर्वेक्षण, किसानों को जुटाने, जागरूकता आयोजित करने की लागत, कार्यक्रमों एवं प्रदर्शन यात्राओं का आयोजन, पेशेवर हैंड होल्डिंग इन्क्यूबेशन तथा अन्य उप-परिव्यय सम्मिलित है।
सीबीबीओ को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूर्व में संवितरित राशि का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद विमुक्त की जाती है।

ख) एफपीओ प्रबंधन लागत

योजना के अंतर्गत, एफपीओ को गठन के वर्ष से तीन वर्षों के लिए अधिकतम 18.00 लाख/एफपीओ या वास्तविक, जो भी कम हो, तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चौथे वर्ष से, एफपीओ को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन स्वयं करना होता है |

निर्देशात्मक वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:-

- सीईओ/प्रबंधक का वेतन अधिकतम 25000 रुपये प्रति माह
- लेखाकार का वेतन अधिकतम 10000 रुपये प्रति माह
- एकमुश्त पंजीकरण लागत अधिकतम 40000 रुपये तक
- यात्रा एवं बैठक की लागत अधिकतम 18000 रुपये प्रति वर्ष
- कार्यालय किराया अधिकतम 48000 रुपये प्रति वर्ष
- उपयोगिता शुल्क (मोबाइल और बिजली) अधिकतम 12000 रुपये प्रति वर्ष
- फर्नीचर एवं फिक्स्चर हेतु एकमुश्त लागत अधिकतम 100000 रुपये
- विविध (सफाई/स्टेशनरी) अधिकतम 12000 रुपये प्रति वर्ष

इसके अलावा संचालन, प्रबंधन, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता एवं अवसंरचनात्मक विकास आदि के किसी भी खर्च को एफपीओ द्वारा अपने स्रोतों से पूरा किया जाता है।

ग) एफपीओ को इक्विटी अनुदान

(i) इक्विटी अनुदान एफपीओ के प्रति किसान सदस्य के लिए 2000 रुपये तक के मिलान अनुदान के रूप में होगा, जो अधिकतम 15.00 लाख रुपये प्रति एफपीओ की सीमा के अधीन प्रदान किया जाता है।

(ii) एफपीओ अधिकतम 3 चरणों में (पहले आवेदन के 4 वर्ष की अवधि के साथ) इक्विटी अनुदान प्राप्त कर सकता है, यह सीमा के अधीन एवं अतिरिक्त विपणन अनुदान हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सदस्य इक्विटी जुटाने में सक्षम है।

घ) ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं हेतु ऋण गारंटी सुविधा

पात्र ऋणदात्री संस्थाओं (ईएलआई) को एक क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करना, जिससे वे एफपीओ को अपने ऋण जोखिम को कम करते हुए संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान कर सकें।

प्रति एफपीओ 2.00 करोड़ रुपये तक परियोजना ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवर:

क. 1 करोड़ रुपये तक का ऋण - 85 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 85% गारंटी कवर (अधिकतम गारंटी शुल्क 0.75% ऋण सुविधा)

ख. 1-2 करोड़ रुपये के लिए, 150 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 75% गारंटी कवर (क्रेडिट सुविधा का अधिकतम शुल्क 0.85%)

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://agricoop.nic.in/en. पर देखें।

ज. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

i. कृषि-समुद्रीय प्रसंस्करण एवं कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना

योजना के बारे में:

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेतों (फार्म गेट) से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित आधुनिक अवसंरचना का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत मूल्य संवर्धन हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(i) सृजन/ खाद्य प्रसंस्करण का विस्तार/ संरक्षण क्षमताएँ (इकाई योजना)

(ii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर

(iii) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना

वित्तपोषण पद्धति :

योजना के अनुसार परियोजना के क्षेत्र एवं अवयवों के आधार पर पात्र परियोजना लागत का 35% से 70% तक सहायता अनुदान की परिकल्पना की गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.mofpi.nic.in. पर देखें

ii. एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना -

योजना के बारे में :

इस योजना का उद्देश्य गैर-बागवानी उत्पादों, बागवानी उत्पादों, डेयरी, मांस, कुक्कुट- पालन एवं समुद्रीय/मछली (झींगा को छोड़कर) के पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कम करने की दिशा में खेतों (फार्म गेट) से उपभोक्ता तक बिना किसी अवरोध के एकीकृत शीत श्रृंखला, संरक्षण तथा मूल्य संवर्धन अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना है। इससे उत्पादकों को एक सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला एवं शीत श्रृंखला के माध्यम से खाद्य प्रोसेसर एवं बाजार से जोड़ा जा सकेगा, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य एवं उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पादों की उपलब्धता वर्ष-भर सुनिश्चित हो सकेगी।

वित्त-पोषण पद्धति:

सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान पात्र परियोजना लागत का 35% तथा विषम क्षेत्रों में परियोजनाओं के साथ-साथ अ.नु.जा/ अ.नु.ज.जा, एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान पात्र परियोजना लागत का 50% होगा, जो प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रूपये के अधीन है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.mofpi.nic.in. पर देखें |

झ. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जनजातीय कार्य मंत्रालय

योजना के बारे में:

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनु.ज.जा. सहकारिताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

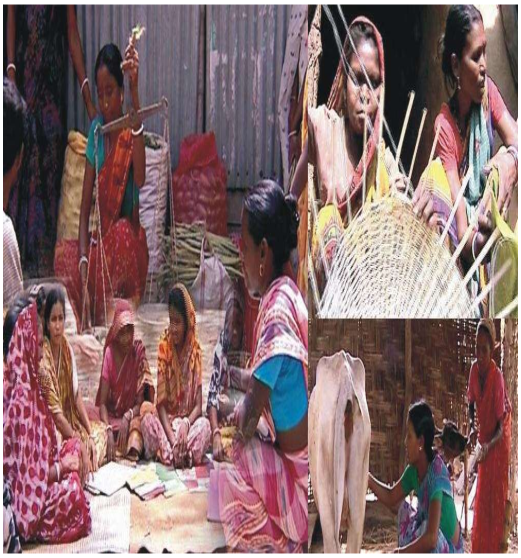

विशेषताएँ:

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन अनु.ज.जा. सहकारिताओं के लिए एनएसटीएफडीसी से कम ब्याज दरों पर रियायती वित्तपोषण उपलब्ध है:

- न्यूनतम 80% या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए और आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सदस्यता में परिवर्तन के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी ऋण की चालू अवधि के दौरान अनु.ज.जा. सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम न हो।

रियायती वित्तपोषण एनएसटीएफडीसी से अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://tribal.nic.in/nstfdc.aspx. पर देखें |

ञ. राष्ट्रीय पशुधन मिशन(एनएलएम) तथा राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

योजना के बारे में : इन योजनाओं के तहत, किसान सहकारी संगठन (एफसीओ) / किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) (सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत) रा.स.वि.नि. से सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं । योग्य प्रस्तावों को संबंधित योजना के अनुरूप रा.स.वि.नि. के ऋण मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित किया जाएगा । योग्य गतिविधियों, अवयवों एवं वित्तपोषण पद्धति का विवरण निम्नवत है:

वित्त-पोषण पद्धति:

राष्ट्रीय पशुधन मिशन:

क्र.सं.	गतिविधियाँ	अवयव	वित्त-पोषण पद्धति
1	पशुधन एवं कुक्कुट-पालन नस्ल विकास	न्यूनतम 1000 पेरेंट्स लेयर (मूल अंडे देने वाली) वाली मदर यूनिट के साथ पेरेंट फार्म, रूरल हैचरी की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जाएगी ।	ब्लॉक लागत का 50% तक ऋण तथा कुल परियोजना लागत (अधिकतम 25 लाख रूपये) का 50% तक भारत सरकार की सब्सिडी
2	जुगाली करने वाले छोटे आकार वाले पशुओं (भेड़/बकरी) में नस्ल विकास	100 मादाओं के गुणक में भेड़/बकरी प्रजनन इकाई + अधिकतम सीमा 500 वाली 5 नरों की इकाई + प्रति इकाई में 25 पशु तक।	ब्लॉक लागत का 50% तक ऋण तथा कुल परियोजना लागत (अधिकतम 50 लाख रूपये) का 50% तक भारत सरकार की सब्सिडी
3	सुअर पालन उद्यमी संवर्धन	ब्रीडर फार्म की स्थापना में न्यूनतम 50 से लेकर 100 मादा सूअर तथा 5 से लेकर 25 नर सूअर तक के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ।	ब्लॉक लागत का 50% तक ऋण तथा कुल परियोजना लागत (अधिकतम 30 लाख रूपये) का 50% तक भारत सरकार की सब्सिडी
4	पशुचारा एवं भूसा उद्यमिता गतिविधियाँ	घास/साइलेज/कुल मिश्रित राशन/पशुचारा ब्लॉक की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।	ब्लॉक लागत का 50% तक ऋण तथा कुल परियोजना लागत (अधिकतम 50 लाख रूपये) का 50% तक भारत सरकार की सब्सिडी

राष्ट्रीय गोकुल मिशन :

क्र.सं.	गतिविधि	अवयव	वित्त-पोषण पद्धति
1	नस्ल गुणन फार्म (बीएमएफ)	किसानों को उच्च आनुवंशिक योग्यता वाली बछिया उपलब्ध कराने हेतु उद्यमिता मॉडल के माध्यम से बीएमएफ स्थापित करने का प्रस्ताव है । फार्म की क्षमता 200 दुधारू पशुओं की है। पूर्वोत्तर /पर्वतीय क्षेत्रों के लिए फार्म की क्षमता 50 दुधारू पशुओं की है ।	कुल अनुमानित परियोजना लागत 4 करोड़ रूपये होगी । ब्लॉक लागत (अधिकतम 2 करोड़) का 50% तक ऋण और कुल परियोजना लागत (अधिकतम 2 करोड़) का 50% तक भारत सरकार की सब्सिडी एनडीडीबी के माध्यम से दी जाती है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.dahd.nic.in/ पर देखें |

ट. पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

योजना के बारे में:

रा.स.वि.नि. पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी), मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत, डेयरी सहकारी समितियां, एफपीओ (सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत) एवं एमएसएमई (सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत) रा.स.वि.नि. से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

वित्त-पोषण पद्धति:

पात्र प्रस्तावों का वित्तपोषण, संबंधित योजना के अनुरूप रा.स.वि.नि. के ऋण मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। योजना के अंतर्गत, पात्र उधारकर्ता डीएएचडी, भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन 3% की ब्याज छूट (यथासमय परिचालित रा.स.वि.नि. ब्याज दर पर) तथा मूलधन के पुनर्भुगतान पर अधिकतम 2 वर्ष के अधिस्थगन सहित अधिकतम 10 वर्ष अवधि के लिए परियोजना लागत के 90% तक आवधिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत पात्र कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

i) डेयरी प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन अवसंरचना;

ii) मांस प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन अवसंरचना;

iii) पशुचारा संयंत्र;

iv) नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी तथा नस्ल गुणन फार्म;

v) पशु चिकित्सा वैक्सीन तथा औषधि विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना;

vi) पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन);

उपर्युक्त प्रमुख कार्यकलापों के उप-अवयवों तथा अन्य विवरणों हेतु :

https://dahd.nic.in/schemes-programmes तथा

https://dahd.nic.in/sites/default/filess/ahidf/RevisedGuidelinesofAHIDFdt26032024.pdf पर देखें।

रा.स.वि.नि. के क्षेत्रीय निदेशालय

बेंगलुरु के.एच.बी. कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, नेशनल गेम्स विलेज, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560047 फोन : 080-25702112 फैक्स : 08025701860 मो.न.: 9311765334 ई-मेल: RO.Bangalore@ncdc.in क्षेत्राधिकार : कर्नाटक	**भोपाल** ए-8 तीसरा तल, प्लेटिनम प्लाजा, टी.टी. नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462003 फोन: 0755-4902397 फैक्स: 0755-4902392 मो.न: 9311765335 ई-मेल : RO.Bhopal@ncdc.in क्षेत्राधिकार : मध्य प्रदेश	**भुवनेश्वर** आलोक भारती कॉम्प्लेक्स (भू-तल) शहीद नगर, भुवनेश्वर, ओडिशा - 751007 फोन: 0674-2542107 फैक्स: 0674-2545874 मो.न: 9311765336 ई-मेल : RO.Bhubaneswar@ncdc.in क्षेत्राधिकार : ओडिशा
चंडीगढ़ बे न. 1 एवं 2, सेक्टर 14 पंचकुला, हरियाणा -134113 फोन:0172-2992857 फैक्स:0172-2992657 मो.न: 9311765337 ई-मेल: RO.Chandigarh@ncdc.in क्षेत्राधिकार : पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा चंडीगढ़	**चेन्नई** 35, गार्मेंट कॉम्प्लेक्स, दूसरा तल, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई तमिलनाडु - 600032 फोन: 044-22500034 फैक्स: 044-22500034 मो.न: 9311765338 ई-मेल: RO.Chennai@ncdc.in क्षेत्राधिकार : तमिलनाडु एवं पुडुचेरी	**देहरादून** बी-2, फ्रेन्डस एन्क्लेव, शाह नगर, गोरखपुर डाकधर, डिफेंस कॉलोनी रोड़, देहरादून उत्तराखंड - 248001 फोन / फैक्स: 0135-4144359 मो.न: 9311765339 ई-मेल: RO.Dehradun@ncdc.in क्षेत्राधिकार : उत्तराखंड
गांधीनगर प्लॉट नं.- 272-273, जी.एच.रोड़, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पीछे, सेक्टर-16, गांधीनगर, गुजरात -382016 फोन: 079-23222293, फैक्स: 07923238292 मो.न: 9311765340 ई-मेल: RO.Gandhinagar@ncdc.in क्षेत्राधिकार : गुजरात एवं दमन दीव	**गुवाहाटी** ब्लॉक नं.-V, तीसरी मंजिल, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, बेलटोला, गुवाहाटी -781006 फोन: 0361-3102207/3111900 मो.न :9311765341 ई-मेल: RO.Guwahati@ncdc.in क्षेत्राधिकार : असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम	**हैदराबाद** 5-10-193, एच.ए.सी.ए.भवन, दूसरा तल, तेलंगाना विधान सभा के सामने, हैदराबाद, तेलंगाना - 500004 फोन: 040-23233760 फैक्स: 04023240615, मो.न: 9311765342 ई-मेल: RO.Hyderabad@ncdc.in क्षेत्राधिकार : आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना
जयपुर प्रथम तल, सेंट्रल ब्लॉक, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर, राजस्थान - 302001 फोन./ फैक्स: 0141-2740327 मो.न: 9311765343 ई-मेल: RO.Jaipur@ncdc.in क्षेत्राधिकार : राजस्थान	**कोलकाता** पी-161/1, चौथा तल, वी.आई.पी. रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700054, फोन: 033-23554943 फैक्स: 033-2355538 मो.न: 9311765344 ई-मेल: RO.Kolkata@ncdc.in क्षेत्राधिकार : पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं अंडमान व निकोबार	**लखनऊ** सहकारिता भवन, 14 डॉ. भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001 फोन: 0522-2289093, फैक्स: 0522 4231523 मो.न: 9311765345 ई-मेल -RO.Lucknow@ncdc.in क्षेत्राधिकार : उत्तर प्रदेश
पुणे 5, बी.जे. रोड, प्रथम तल, एमआरएसएस भवन, पुणे, महाराष्ट्र - 411001 फोन: 020-26127049 मो.न: 9311765347 ई-मेल: RO.Pune@ncdc.in क्षेत्राधिकार : महाराष्ट्र, गोवा एवं दादर एवं नगर हवेली	**पटना** ब्लॉक ए, कमरा न. - 20-21, दूसरा तल, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड पटना, , बिहार - 800001 फोन: 0612-2221467 फैक्स: 0612-2211604, मो.न: 9311765346 ई-मेल: RO.Patna@ncdc.in क्षेत्राधिकार : बिहार	**रायपुर** दसवां तल, टावर-सी कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, सी.बी.डी., सेक्टर-21, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ - 492002 फोन: 0771- 2999370, फैक्स: 0771-2999370, मो.न: 9311765348 ई-मेल : RO.Raipur@ncdc.in क्षेत्राधिकार : छतीसगढ़
रांची एम-23/डीएस हरमू हाउसिंग कालोनी, हरमू, रांची, झारखण्ड - 834002 फोन: 0651-3501552 मो.न.: 9311765349 ई-मेल : RO.Ranchi@ncdc.in क्षेत्राधिकार : झारखण्ड	**शिमला** गार्गे निवास, सरकारी हाईस्कूल के नजदीक, लोअर कैथू, शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171003 फोन: 0177-2657689 फैक्स : 0177-2658735, मो.न.: 9311765350 ई-मेल: RO.Shimla@ncdc.in क्षेत्राधिकार : हिमाचल प्रदेश और लद्दाख	**तिरुवनंतपुरम** टीसी नं: 11/808, जी.वी -02, नालन्दा जंक्शन, नानथनकोडे जंक्शन, कोडियार, पोस्ट ऑफिस तिरुवनंतपुरम, केरल -695003 फोन 0471-2318497 फैक्स:0471-2311673 मो.न.: 9311765351 ई-मेल: RO.TVM@ncdc.in क्षेत्राधिकार : केरल और लक्षद्वीप

रा.स.वि.नि. के उप कार्यालय

विजयवाड़ा (क्षे. का हैदराबाद के अंतर्गत) चौथी मंजिल, एपीमार्कफेड, #56-2-11, एपीआईआईसी कॉलोनी, ऑटो नगर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश-520007 मो.न.: 9167889654 ई-मेल : so.vijayawada@ncdc.in क्षेत्राधिकार : आंध्र प्रदेश	**मिजोरम (क्षे. का गुवाहाटी के अंतर्गत)** रूम. नो. 201, द्वितीय तल, आर.सी.एस कार्यालय बिल्डिंग, ज़र्काव्त, आइजोल, मिजोरम – 796001. फोन: 0389-2348017 मो.न.: 8527855188 ई-मेल :mirza.akik.beg@ncdc.in क्षेत्राधिकार : मिजोरम	**अरुणाचल प्रदेश (क्षे. का गुवाहाटी के अंतर्गत)** प्रथम तल, आर.सी.एस कार्यालय बिल्डिंग,डी. सेक्टर, निकट हाई कोर्ट, नहार्लगुन, अरुणाचल प्रदेश – 791110 मो.न.: 9131970828 ई-मेल :abhishek.jain@ncdc.in क्षेत्राधिकार : अरुणाचल प्रदेश
त्रिपुरा (क्षे. का गुवाहाटी के अंतर्गत) भूतल, त्रिपुरा मार्कफेड बिल्डिंग, एच.ओ – बधार्घट, सिद्धि आश्रम, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा – 799003 मो.न.: 7002618654 ई-मेल : pranjal1993@ncdc.in क्षेत्राधिकार : त्रिपुरा	**जम्मू (क्षे. का चंडीगढ़ के अंतर्गत)** आर.सी.एस. जम्मू एवं कश्मीर कोआपरेटिव काम्प्लेक्स, तृतीय तल, राजिंदर नगर, बनतालाब, जम्मू - 181123 मो.न.: 7006269077 ई-मेल : RO.Chandigarh@ncdc.in क्षेत्राधिकार : जम्मू एवं कश्मीर	**लद्दाख (क्षे. का शिमला के अंतर्गत)** निकट मंदिर, उप रजिस्ट्रार (सहकारिता) कार्यालय, पोलो ग्राउंड के नीचे, लेह – 194101 मो.न.: 8261920003 ई-मेल : RO.Shimla@ncdc.in क्षेत्राधिकार : लद्दाख

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

4, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास,
नई दिल्ली - 110016
दूरभाष : 011-20862512/20862866